

प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. राजश्रीदेवी पत्नि हेमराज जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी मेनाल तहसील बेगुं जिला चितोडगढ़ राज0।
2. घनसीराम पिता जालम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. छीतर पिता सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट**

- : आदेश : -

दिनांक 9/5/2022

प्रार्थना पत्र में प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी नम्बर 58, 59, 62, 64, 80/64 कुल किता 0 रकबा 3.0271 हैक्टेयर भूमि जो स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वाद आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत शपथ संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थर गढी प्रार्थी से अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार के बाद ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी नम्बर 58, 59, 62, 64, 80/64 कुल किता 05 रकबा 3.0271 हैक्टेयर भूमि जो विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित है। पत्थरगढी प्रार्थी प्रत्येक राशि 100/- रूपये राजकोष में जमावाने पर पत्रावली में अंश देकर प्रार्थी विवाद करे।

अतः पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वाद आराजीयात का खातेदार काश्तकार है।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वाद आराजीयात का खातेदार काश्तकार है।

अधिवक्ता  
विपक्षीगण  
प्रार्थी